

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सारण(छपरा)/मधेपुरा/मधुबनी/अररिया/प.चंपारण(बेतिया)/सीतामढ़ी।

पटना, दिनांक :- 27-3-17

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26
-उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-P-2230011030103)के
अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2239 दिनांक 20.5.16 के आलोक में
चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय हेतु आपकी अध्यक्षता में गठित "बाल श्रमिक
पुनर्वास-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतु रू. 5000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर
से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र० सं०	विषयशीर्ष	जिला का नाम	बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4		6
1	28-01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	सारण (छपरा)	17	85000	श्रम अधीक्षक, सारण (छपरा) के पत्रांक 310 दिनांक- 17.03.17 के आलोक में ।
2	तदैव	मधेपुरा	06	30000	श्रम अधीक्षक, मधेपुरा के पत्रांक 94 दिनांक- 21.03.17 के आलोक में ।
3	तदैव	मधुबनी	06	30000	श्रम अधीक्षक, मधुबनी के पत्रांक-176 दिनांक- 15.03.17 के आलोक में ।
4	तदैव	अररिया	07	35000	श्रम अधीक्षक, अररिया के पत्रांक-73 दिनांक- 17.3.17 के आलोक में ।
5	तदैव	प.चंपारण (बेतिया)	15	75000	श्रम अधीक्षक, प.चंपारण (बेतिया) के पत्रांक-113 दिनांक- 16.03.17 के आलोक में
6	तदैव	सीतामढ़ी	06	30000	श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी के पत्रांक 238 दिनांक- 11.03.17 के आलोक में ।
	कुल योग		57	285000	

कुल आवंटित राशि ₹ 2,85,000/- (₹ दो लाख पचासी हजार) मात्र ।


- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि0 दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को जाँच कर नियमानुसार ही की जाय ।
- इसका व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा शीघ्र इस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।
- यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

27/03/17
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।


ज्ञापांक-6/एफ1-305/16 श्र0सं0- 188 पटना, दिनांक 27-3-17
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।


*स्पीड
पोस्ट

ज्ञापांक-6/एफ1-305/16 श्र0सं0- 188 पटना, दिनांक 27-3-17
प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/ संबंधित श्रम अधीक्षक / प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 को उनके गै.सं.प्रे.सं.0-96 (श्रम पक्ष) दि.-27.3.17 के आलोक में/बजट शाखा, प्रशाखा-6(श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा ।


(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-305/2016 श्र0सं0- 188 पटना, दिनांक 27-3-17
प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।